

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. पृथ्वीराज पिता रोडू आचार्य आयु 70 वर्ष निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

1. शरीफ मोहम्मद पिता हाजी मोहम्मद मुसलमान आयु 25 वर्ष निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बाबु पिता हाजी मोहम्मद मुसलमान आयु 25 वर्ष निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. इकबाल मोहम्मद पिता अनारदीन मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
5. उपपंजीयक, पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत स्थाई निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 169/2009 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 26.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अभिधारी नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।


26/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज पुणवरीराज बराम शरीफ मां०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/3/25	<p>वादागत भूमि का आधिकारी नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत द्वारा 188 शक-मान का इलाक़ा आधिकारिकता की वादी के आधिकारी वर्तमान शक-ब रिकॉर्ड में आधिकारी नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। त्रिपि सरे इवलात सुनला गणन रिष्टी प्रचरि वारी हो।</p> <p>प्रभावती कौशल शुमार होकर दाखिल दाफतर हो तमा तम्बर से कम हो।</p>	

26/3/25
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा